



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129710

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अन्तर्गत आवेदन संख्या - 32909/2025

दानिश व एक अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: मोहम्मद नौशाद अहमद खान

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता: आनंद शंकर दुबे, शा.अधि., विनय कुमार पांडेय

न्यायालय संख्या-73

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद नौशाद अहमद खान, राज्य के विद्वान अ.शा.अधि. श्री ज्योति कुमार सिंह तथा विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री विनय कुमार पांडेय को सुना गया।
2. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा एक संयुक्त कथन दिया गया है कि उन्हें पूर्ण रूप से निर्देश प्राप्त हैं तथा वे मामले पर बहस करने की स्थिति में हैं तथा वे कोई और शपथ

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं करते। पक्षकारों की सहमति से, आवेदन को प्रवेश स्तर पर निर्णीत किया जा रहा है।

3. धारा 528 भा.ना.सु.सं. के अधीन यह आवेदन, वाद संख्या 6271/2025, जो मुकदमा अपराध संख्या 899/2024, धारा 376, 504, 506 भा.द.सं., थाना विजय नगर, जिला गाजियाबाद से उत्पन्न है, में दिनांक 15.01.2025 के आरोप-पत्र तथा दिनांक 19.05.2025 के संज्ञान आदेश को निरस्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि विपक्षी संख्या 2 द्वारा आवेदकगण के विरुद्ध थाना-विजय नगर, जिला गाजियाबाद में प्र.सू.रि. संख्या 899/2024 दिनांक 18.12.2024 को रात्रि 21.45 बजे धारा 376, 504, 506 भा.द.सं. के अधीन यह आरोप लगाते हुए दर्ज कराई गई थी कि विपक्षी संख्या 2 लगभग 24 वर्ष की आयु की है तथा उसने बी.ए. व बी.एड. किया है। तथापि, आवेदक संख्या 2 विपक्षी संख्या 2 के संपर्क में आया तथा विवाह संपन्न किए जाने के गलत आश्वासन पर, उसने विपक्षी संख्या 2 के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया। आरोप यह है कि दिनांक 12.6.2024 को आवेदक संख्या 2 ने विपक्षी संख्या 2 को एक होटल में बुलाया तथा विवाह के गलत आश्वासन पर, बुरा कृत्य कारित किया गया। तत्पश्चात, यद्यपि विपक्षी संख्या 2 आवेदक संख्या 2 को कॉल करती रही, उसने कभी प्रतिक्रिया नहीं दी तथा जब उक्त पहलू आवेदक संख्या 1, जो आवेदक संख्या 2 का भाई है, को सूचित किया गया, तो उसने भी कुछ नहीं किया। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान पेपर बुक के पृष्ठ संख्या 40 की ओर आकर्षित किया है यह तर्क देने हेतु कि पीड़िता के धारा 183 भा.ना.सु.सं. के अधीन दर्ज बयान में, आवेदक संख्या 1 को यह भूमिका सौंपी गई थी कि उसने आवेदक संख्या 2 को विपक्षी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



संख्या 2 से विवाह करने हेतु बाध्य करके विपक्षी संख्या 2 की सहायता प्रदान नहीं की तथा गर्भावस्था समाप्त कर दी गई।

5. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रविश सिंह राणा बनाम उत्तराखंड राज्य, (2025) SCC OnLine SC 1055, महेश्वर टिग्गा बनाम झारखंड राज्य; 2020 LawSuit (SC) 595, रजनीश सिंह @ सोनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य; 2025 INSC 308, उदय बनाम कर्नाटक राज्य; 2003 (2) Supreme 145 में पारित आदेशों की ओर, साथ ही इस न्यायालय द्वारा कुमारी नेहा @ नेहा अनुरागी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य; आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 4743/2024, दिनांक 08.09.2025 को निर्णीत निर्णय की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है यह तर्क देने हेतु कि अपराध धारा 376, 504, 506 भा.द.सं. के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करता क्योंकि विपक्षी संख्या 2 तथा आवेदक संख्या 2 अपनी इच्छा से स्वेच्छापूर्वक सहवास करते थे तथा यह एक सहमति-आधारित संबंध था।
6. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि जहां तक आवेदक संख्या 1 का संबंध है, उसे गलत रूप से फंसाया गया है तथा चूंकि उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, तथा केवल इसलिए कि वह आवेदक संख्या 2 का विवाह विपक्षी संख्या 2 के साथ संपन्न नहीं करवा सका, यह कोई अपराध गठित नहीं करेगा। गोलियां देकर गर्भावस्था समाप्त करने का कोई प्रश्न नहीं है।
7. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों का खंडन करते हुए, विद्वान अ.शा.अधि. तथा विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि विवाह हेतु गलत आश्वासन देना तथा विपक्षी संख्या 2 को एक होटल में बुलाना, बुरा कृत्य कारित करते

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



समय धारा 376 भा.द.सं. के अधीन अपराध के समान है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जो भी हो, ये ऐसे मुद्दे हैं जो विचारण से संबंधित हैं।

8. मैंने बार में की गई प्रस्तुतियों को सुना है तथा अभिलेख पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया है।
9. स्पष्टतः, प्र.सू.रि. पीड़िता द्वारा स्वयं आवेदकगण के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी जिसमें आवेदक संख्या 2 पर धारा 376 भा.द.सं. सपठित धारा 504, 506 भा.द.सं. के अधीन अपराध कारित करने का अभिकथन है। जहां तक आवेदक संख्या 1 का संबंध है, वह आवेदक संख्या 2 का भाई है, जिसने यद्यपि कोई बुरा कृत्य कारित नहीं किया है, वह गर्भावस्था की समाप्ति करवाने में सहायक था तथा उसने आवेदक संख्या 2 को विपक्षी संख्या 2 के साथ विवाह संपन्न करवाते समय धमकी देते हुए भी अपनी जिम्मेदारी से बचने का एक कृत्य कारित किया। धारा 183 भा.ना.सु.सं. के अधीन बयान में, यह अभिकथित किया गया है कि विपक्षी संख्या 2 दो माह की गर्भवती थी तथा इस संबंध में विवाह संपन्न करवाने हेतु एक गलत आश्वासन दिया जा रहा था।
10. न्यायालय की राय में, एक बार कार्यवाही आरंभ हो जाने पर, इस स्तर पर उन तथ्यों के प्रश्नों में प्रवेश करना उचित नहीं होगा, जिन्हें अभी सुलझाया जाना है।
11. तदनुसार, मामले के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना, उपर्युक्त तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आवेदन निस्तारित किया जाता है, आवेदकगण को दिनांक 31.7.2026 तक, निर्भर किए गए निर्णयों की सहायता लेते हुए, एक उन्मोचन आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए, तथा उक्त प्रस्ताव पर, विचारण न्यायालय उन्मोचन आवेदन का निर्णय तीन महीनों की अवधि के भीतर, विधि के अनुसार सख्ती से करेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



12. उन्मोचन आवेदन के निस्तारण तक, उक्त मामले के अनुसरण में आवेदकगण के विरुद्ध कोई बलपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी।

13. वर्तमान आदेश के आधार पर आवेदकगण को प्रदान किया गया लाभ केवल उसी स्थिति में लागू होगा जब आवेदकगण आदेश की किसी भी शर्तों व नियमों का उल्लंघन नहीं करते तथा इस संबंध में समयसीमा का पालन करते हैं।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

30 जून, 2026

वंदना

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”